To Make the Villages Lal Dora Free

***1782.** **Shri Jagbir Singh Malik, M.L.A.:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the villages of State Lal Dora Free; if so, the status thereof together with the numbers of property I.Ds. issued by the Government in the villages of State so far;

b) the details of the incharge of this project together with the number of officers and workers involved in this process in one District;

c) whether any training was given to the persons involved in this process; if so, the details of their training, place of training and days of training; and

d) whether any procedure of notice before creation of ID was adopted by the Government together with the details of persons along with their villages to whom such notices have been served in Gohana Assembly Constituency so far?

Sh. DEVENDER SINGH BABLI, DEVELOPMENT AND PANCHAYATS MINISTER, HARYANA

Yes Sir,

(a) The State is implementing the SVAMITVA Scheme to make villages Lal Dora free and provide property cards to rural household owners in inhabited rural areas in villages. So far, 3,93,451 SVAMITVA Property Cards have been issued.

(b) Deputy Commissioner is the in-charge of the project in the district. District Development and Panchayat Officer, District Revenue Officer, Block Development and Panchayat Officers, Tehsildars, Gram Sachivs and Revenue Patwaris are involved in this process in the district.

(c) Regular online review meetings and training have been conducted for the officials involved in the scheme during 2020 and 2021.

(d) Procedure under Section 26 of the Haryana Panchayati Raj Act 1994, has been adopted to invite objections in the Gram Sabha. 30 days time is given by the Gram Panchayat for inviting objections and settling objections after hearing. 36 Gram Panchayats of Gohana Assembly Constituency have published notification for inviting objections. A total of 1,115 objections have been received in these villages, out of which 656 have been settled and settlement of 499 objections are in process.

गावों को लाल डोरा मुक्त बनाना

*1782. **श्री जगबीर सिंह मलिक, एम.एल.ए.**: क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:–

(क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है तथा राज्य के गांवों में अब तक सरकार द्वारा जारी की गई सम्पत्ति की आई.डी. की संख्या कितनी है; तथा

(ख) इस परियोजना में प्रभारी का ब्यौरा क्या है तथा एक जिले में इस प्रक्रिया में सम्मलित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया में सम्मलित व्यक्तियों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है; यदि हां, तो उनके प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के स्थान तथा प्रशिक्षण के दिनों का ब्यौरा क्या है; तथा

(घ) क्या सरकार द्वारा आई.डी. को बनाने से पहले कोई सूचना की प्रक्रिया अपनाई गई तथा गोहाना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक सूचना दिए जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके गांवों का ब्यौरा क्या है?

श्री देवेन्द्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री, हरियाणा

श्रीमान् जी,

(क) राज्य द्वारा गांव को लाल डोरा मुक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए गांव वासियों को उनके घरो का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना लागु की गई । अब तक 3,93,451 संपत्ति कार्ड दिए गए।

(ख) जिला स्तर पर इस योजना का प्रभारी जिला उपायुक्त है। जिले में इस प्रक्रिया में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, ग्राम सचिव और राजस्व पटवारी शामिल हैं।

(ग) इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020–2021 में नियमित रूप से विभागीय अधीकारियों की ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठके की गई ।

(घ) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 26 के तहत ग्राम पंचायत ग्राम सभा में आपत्तियां आमंत्रित करती है। ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। ग्राम पंचायत आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देकर प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, का निवारण करती है। गोहाना विधानसभा क्षेत्र की 36 ग्राम पंचायतों ने आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित की है. इन गांवों में कुल 1,115 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 656 का निपटारा कर दिया गया है और 499 आपत्तियों का निपटारा प्रक्रिया में है.